UPET010061492022

न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट), एटा

उपस्थितः अली रजा, " उच्चतर न्यायिक सेवा "
(J.O CODE-6011)

दाण्डिक प्रकीर्ण (F.R.) वाद संख्या : 454/2022

रिषीराम सिंह — बनाम — रूस्तम सिंह.

धारा 135 विद्युत अधिनियम
मु0अ0सं0—229/2022
थाना—एंटी पावर थेफ्ट, जिला एटा

12.11.2022

पत्रावली आज **राष्ट्रीय लोक अदालत** में पेश हुयी।

पत्रावली का परिशीलन किया। पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि थाना एंटी पावर थेफ्ट, जिला एटा द्वारा **अपराध संख्या—229/2022, अन्तर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम** में **अभियुक्त रूस्तम सिंह** के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी, जिसमें बाद विवेचना, विवेचक द्वारा न्यायालय में अंतिम आख्या प्रस्तुत की गयी।

विद्युत विभाग की ओर से अवर अभियन्ता द्वारा आदेश पत्रिका के हासिये पर इस आशय का पृष्ठांकन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा विभाग में शमन व राजस्व निर्धारण जमा कर दिया गया है। अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। चूँकि अभियुक्त द्वारा शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण व बिल जमा कर दिया है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उक्त प्रकरण में विवेचक द्वारा प्रस्तुत **अंतिम आख्या संख्या—318/2022** स्वीकार की जाती है। सम्बंधित अभिलेख, बाद आवश्यक कार्यवाही, नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

(अली रजा)
अपर सत्र् न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), एटा

दिनांकः 12.11.2022

Digitally signed by Ali Raja
Date: 2022.11.12 15:11:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court